उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 185वीं बैठक दिनांक 27.11.2002 की विषय सूची

मद संख्या	विषय	निर्णय
185/1-1	परिषद की 184वीं बैठक दिनांक 17.08.2002 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गई।
185/1-2	परिषद की 184वीं बैठक दिनांक 17.08.2002 की अनुपालन आख्या।	अवलोकन किया गया। मद संख्या 184/31 के संबंध में निर्णय लिया गया कि 3 वर्ष की समय सीमा घटा कर 6 माह कर दी जाए। यह अनुदेशित किया गया कि भविष्य में अनुपालन आख्या में 3 श्रेणी स्पष्ट रूप से लिखी जायें। 1. कार्यवाही अपेक्षित नहीं। 2. कार्यवाही पूर्ण हो गई। 3. कार्यवाही प्रगति पर है। तत्पश्चात् विवरण दिया जाए।
भाग-2	परिषद की 184 वीं बैठक के स्थगित मद ।	
	भूमि अर्जन अनुभाग	
185/2-3	भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0सं03 गाजियाबाद के ग्राम साहिबाबाद के खसरा सं0 501-म, 617,म 639ए, 640ए, 647म,656,700,म की 3-13-0 बीधा भूमि शासन द्वारा परित्याग करने विषयक।	परिषद के नियमानुसार विकास शुल्क लिया जायेगा।
185/2-4	कुर्सी रोड विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट भूमि खसरा सं0-294 रकबा दो बीधा एक बिस्वा 9 बिस्वांसी स्थित ग्राम बटहा सबौली व खसरा सं0 1/2 रकबा 13 विस्वा स्थित ग्राम खुर्रम नगर परगना व तहसील लखनऊ की भूमि के सम्बंध में।	विचार किया गया। क्योंकि प्रकरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः परिषद स्तर से कोई अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है।

185/2-5	हरपुर योजना बलिया में समाविष्ट खसरा सं0-69 के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार सेठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-12143/2002 में मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 02.04. 2002 को पारित आदेश के अन्तर्गत याची श्री अशोक कुमार सेठ के प्रत्यावेदन पर विचार।	परिषद ने तत्कालीन आवास आयुक्त द्वारा दिनांक 8.5.2001 को लिए गए निर्णय को अनुमोदित किया तथा निर्देशित किया कि तदनुसार प्रार्थी के प्रत्यावेदन को निस्तारित किया जाए।
185/2-6	वृन्दावन यो0सं0-2,लखनऊ में डिफेन्स कर्मचारी सहकारी आवास समिति की भूमि के सम्बन्ध में।	विचार किया गया। क्योंकि प्रकरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः परिषद स्तर से कोई अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है।
185/2-7	इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-इस्माईगंज के खसरा सं0-129 रकबा 1-13-10 बीघा भूमि के विकास शुल्क पर लगाये गये ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किए जाने के सम्बन्ध में।	शासन के द्वारा न्यूनतम विकास शुल्क लिये जाने के आशय के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
185/2-8	राजाजीपुरम(तालकटोरा योजना), लखनऊ में समाविष्ट ग्राम- बिहारीपुर में स्थित खसरा सं0-290,293,299,300,301,302, 311,314,315 व 319 की भूमि के सम्बन्ध में श्री रियासत नवाब का प्रत्यावेदन।	परिषद के पूर्व निर्णय के अनुसार बल्क सेल की कार्यवाही की जाये।
185/2-9	कुर्सी रोड विस्तार योजना लखनऊ में समाविष्ट भूमि खसरा सं0-526 रकबा 2 विस्वा 13 विस्वांसी स्थित ग्राम- बटहा सबौली व खसरा सं0-191 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा 16 विस्वांसी स्थित ग्राम- आदिलनगर परगना व तहसील लखनऊ की भूमि के सम्बन्ध में।	विचार किया गया। क्योंकि प्रकरण शासन द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः परिषद स्तर से कोई अनुतोष दिया जाना सम्भव नहीं है।
185/2-10	श्री वीरेन्द्र कुमार मित्तल, निवासी - काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर स्थित	समिति का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	भूमि खसरा सं0-160 में समाविष्ट 2400 वर्ग फुट को अर्जन से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।	
185/2-11	शासन द्वारा महोली यो0सं0-1,मथुरा की 9.75 एकड़ भूमि के असुधार/विकास शुल्क के सम्बन्ध में।	परिषद अधिनियम के अनुसार विकास शुल्क लिया जाए।
	सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग	
185/2-12	परिषद योजनाओं में पैट्रोल पम्प व डीजल पम्प हेतु भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में।	व्यवसायिक सम्पत्ति मानते हुये तद्विषयक नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।
भाग-3	**प्रथम बार प्रस्तुत मद**	
	अभियन्त्रण अनुभाग	
185/3-13	परिषद में क्वालिटी मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू करते हुए आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र प्राप्त करना।	परिषद ने कृत कार्यो की सराहना करते हुए ISO प्रमाणपत्र शीघ्र प्राप्त करने की अपेक्षा की।
185/3-14	दृष्टि प्रलेख की कार्य योजना के अन्तर्गत परिषद द्वारा निर्मित भवनों पर वारण्टी दिए जाने के सम्बन्ध में।	निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया। 1. वारंटी नव निर्माण पर ही दी जायेगी। 2. वारंटी केवल निम्न मदों पर दी जायेगी : • लीकेज तथा सीपेज के विरुद्ध। • खिड़कियों, दरवाजों के लकड़ी के कार्य के विरुद्ध। • छत की संरचनात्मक गड़बड़ी के विरुद्ध। • विद्युत सर्किट की कमी के विरुद्ध।

		• फर्श के बैठ जाने के विरुद्ध। 3. वारंटी कब्जा देने के प्रथम प्रस्ताव से 3 वर्ष अथवा वास्तविक कब्जा प्राप्त करने के एक वर्ष की अवधि के अंदर, जो भी बाद में हो, की समय सीमा में ही दी जायेगी। 4. विवाद की दशा में परिषद का निर्णय अंतिम होगा। यह भी निर्देशित किया गया कि इस प्रकिया का दुरुपयोग रोकने हेतु, आवश्यक प्राविधान किये जायें तथा परिषद को अर्धवार्षिक प्रगति से अवगत करवाया जाये।
185/3-15	परिषद द्वारा संचालित योजनाओं में बाल्मीकि अम्बेदकर मलिन बस्ती आवास योजना(वैम्बे) के अन्तर्गत भवन बनाए जाने के सम्बन्ध में।	यथा प्रस्तावित अनुमोदित।
185/3-16	परिषद की विकास नगर योजना,लखनऊ में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन,लखनऊ को आफर की गयी भूमि के विरूद्व विलम्ब से जमा की गयी अवशेष धनराशि पर ब्याज/दण्ड ब्याज न लिए जाने एवं 10 प्रतिशत छूट की 30.06.2002 तक अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
	भूमि अर्जन अनुभाग	
185/3-17	परिषद की योजनाओं में विस्थापित कास्तकारों को मुआवजे के साथ-साथ ~~बिना लाभ हानि के एक दुकान भी~~ आउट-आफ-टर्न आवंटित किए जाने के	इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि यह केवल उन प्रकरणों में लागू होगा जो ~~प्रथम आवासीय योजना के ऑफर होने के~~ दो वर्ष के अन्दर रजिस्ट्रेशन करा लेंगें

	सम्बन्ध में।	तथा 10 प्रतिशत का प्रतिबन्ध नही रहेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि इन दुकानों का निर्माण उपयुक्त व्यावसायिक स्थानों पर ही किया जाये।
	सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग	
185/3-18	कानपुर स्थित यो0सं0-2 के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग भवन सं0-बी0-524 के ब्याज माफ किए जाने के सम्बन्ध में।	क्योंकि साधारण ब्याज माफ करने की नीति और परम्परा नही है अतः ~~सम्भव नहीं पाया गया।~~ परिषद स्तर से सम्भव नहीं → शासन को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
185/3-19	वृन्दावन योजना,लखनऊ में एस0एफ0एस0-99सी0 के अन्तर्गत आवंटित भवन सं0- 2ए0/259 में लगाये गये ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में। (पंजीकरण अनुभाग)	क्योंकि साधारण ब्याज माफ करने की नीति और परम्परा नही है अतः ~~सम्भव नहीं पाया गया।~~ परिषद स्तर से सम्भव नहीं है, शासन को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।
	प्रशासन अनुभाग	
185/3-20	परिषद कार्मिकों को अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
185/3-21	परिषद में सहायक निदेशक उद्यान की सेवा विनियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
185/3-22	परिषद कर्मियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय करने हेतु अग्रिम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में। (समन्वय कोष्ठ)	इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि ब्याज की दर वही होगी जो शासन द्वारा तद्समय लागू हो।
185/3-23	उ0प्र0 सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1135/5-6- 2001-294/96, दि0 27 जून, 2001 को परिषद सेवकों की चिकित्सा परिचर्या हेतु परिषद में लागू करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
	वित्त एवं लेखा अनुभाग	
185/3-24	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण तथा मेरठ विकास प्राधिकरण को हडको ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत भुगतान हेतु इलाहाबाद बैंक मुख्य शाखा,लखनऊ से	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्देशित किया गया कि शासन से अनुरोध किया जाये कि शासन के आदेश के अनुपालन में दी गई धनराशि के विरुद्ध

	रू0 15.00 करोड़ का अल्पकालिक ऋण प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	पूर्ण भूमि परिषद को हस्तगत करवाई जाये।
185/3-185/25	परिषद के वार्षिक लेखों(बैलेन्स शीट आदि) का अन्तरिम सम्परीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म से कराये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
185/3-26	परिषद के वार्षिक लेखा (बैलेन्स शीट) को तैयार करने हेतु सिगनीफिकैण्ट एकाउण्टिंग पालिसीज (Significant Accounting Policies) का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।	संबंधित लेखा मानकों को उद्धृत तथा स्पष्ट करते हुए शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
	वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग	
185/3-27	परिषद द्वारा मानचित्रक/ पर्यवेक्षक सम्बन्धी लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में काउन्सिल आफ आर्कीटैक्चर की आपत्ति।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
185/3-28	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में आवासीय भूखण्ड सं0-12/625 तथा 12/625/1 के मध्य स्थित 6.0 मीटर चौड़ी सड़क का भू-उपयोग आवासीय में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में।	सर्व निकटस्थ भू स्वामियों से स्पष्ट लिखित अनापत्ति प्राप्त होने पर परिषद के समक्ष पुनः रखा जाए।
185/3-29	परिषद के छिबरामऊ योजना में सड़क की भूमि को स्कूल भूखण्ड के साथ आवंटित किया जाना।	यह पाया गया कि इस प्रस्ताव से सामान्य ट्रैफिक व्यवस्था तथा नियोजन अवरुद्ध होता है, अतः अस्वीकृत।
185/3-30	यो0सं0-2,रामपुर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण।	स्थगित।
185/3-31	स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित परिषद योजनाओं में निर्माण सामग्री संचय (मलवा) शुल्क परिषद द्वारा न वसूला जाना।	परिषद ने सैधान्तिक अनुमोदन देते हुये शासन को संदर्भित किये जाने का निर्देश दिया।
185/3-32	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में आवासीय भूखण्ड सं0-9/1065/1 का भू-प्रयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	स्थगित।

	डिपाजिट सेल	
185/3-33	फिक्स्ड एवं फ्लेक्सेबिल सेण्टेज पर डिपाजिट कार्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	स्थगित।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 185वीं बैठक दिनांक 27.11.2002 की अनुपूरक विषय सूची

मद संख्या	विषय	निर्णय
185/34	परिषद की 184वीं बैठक दिनांक 17.08. 2002 में प्रस्तुत/वापस ली गयी अवलोकनार्थ टिप्पणियों सूची-1 व 2 पुनः प्रस्तुत किये जाने सहित सूची-3,4,5,6 व 7 अवलोकनार्थ।	अवगत हुए।
185/35	महोली यो0सं0-1 व 2 (राधिका विहार एवं कृष्ण विहार) में 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को निःशुल्क भूमि एवं निर्माण लागत के विरूद्ध आंशिक धन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
	भूमि अर्जन	
185/36	परिषद की योजना सं0-1,बुलन्दशहर में समाविष्ट भूमि खसरा सं0-37 ग्राम-भूड़ को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में श्री नानक चन्द आदि के प्रत्यावेदन पर विचार।	स्थगित।
185/37	उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0,कानपुर के गोमती नगर योजना,लखनऊ में समाविष्ट व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 3003.15 व0मी0 भूमि को कय करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
185/38	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में निजी भूस्वामियों/किसानों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु 5 प्रतिशत	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि इस प्रकार के प्रकरणों में आवासीय भूखण्डों के प्रथम आबंटन की तिथि से

	विक्रय योग्य भूमि संबंधित भूस्वामियों/किसानों को आवंटित किये जाने पर विचार।	2 वर्ष के अन्दर आवंटन सुनिश्चित कर लिया जाये।
185/39	परिषद योजनाओं में अधिग्रहीत गाँवों में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा विकास कार्य किये जाने तथा इसके लिये प्रत्येक एकड़ अधिग्रहीत भूमि के लिये विकास की धनराशि गाँवों में व्यय करने के लिये मानक तय कराये जाने के सम्बन्ध में।	सैधांतिक सहमति प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि प्रस्तावित विकास कार्यों के मानक आधारों तथा व्यय का आँकलन कर पुनः प्रस्तुत हो।
185/40	दिल्ली,सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना,गाजियाबाद के सम्बन्ध में नियोजन समिति की संस्तुतियों पर विचार।	स्थगित।
185/41	पाण्डेपुर योजना,वाराणसी के पूर्व कास्तकारों की अर्जित की गयी भूमि का 15 प्रतिशत व 15 प्रतिशत का 55 प्रतिशत के स्थान पर 80 प्रतिशत भूमि भूखण्ड के रूप में दिये जाने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
	सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग	
185/42	परिषद योजनाओं में शिक्षण संस्थाओं को आवंटित भूखण्डों पर कार्नर शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	कार्नर चार्ज लिया जाये।
185/43	राजाजीपुरम योजना,लखनऊ में दुकान सं0-एस0-241 के विरूद्व दण्ड ब्याज माफ किए जाने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
185/44	परिषद की सिकन्दरा योजना, आगरा स्थित जी0एच0 भूखण्ड सं0-जी0एच0-16/1 का आवंटन नील कमल सहकारी आवास	स्थगित।
	समिति के पक्ष में किये जाने के सम्बन्ध में।	

पंजीकरण अनुभाग

185/45	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सृजित सम्पत्तियों के आवंटन हेतु असफल आवेदको की पंजीकृत धनराशि वापस किए जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।	अनुमोदन किया ।
185/46	सेक्टर-11 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पुरम(सिकन्दरा योजना),आगरा में व्यवसायिक तथा आवासीय क्षेत्र का पारस्परिक परिवर्तन।	स्थगित।
185/47	विकास नगर योजना,लखनऊ में आवासीय भूखण्ड सं0-1/134 का भू-उपयोग आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	स्थगित।
185/48	परिषद की पंचवटी योजना, सीतापुर में सरस्वती शिशु मन्दिर, विवेकानन्दपुरी, सीतापुर को स्कूल भूखण्ड 4496.19 वर्गमीटर आबंटित किए जाने के संबंध में।	स्थगित।
185/49	परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में श्री नवीन सचदेवा को प्रदिष्ट व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-7/102 के पुनर्जीवन के संबंध में।	स्थगित।
185/50	परिषद की दिल्ली-बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद में नगर निगम की भूमि पर संयुक्त उपकम के रूप में विकास कार्य कराये जाने के संबंध में।	अनुमोदित।
185/51	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित हरदोई रोड योजना में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आवासीय योजना संचालित करने हेतु आवास एवं विकास परिषद द्वारा भूमि प्राप्त करने के संबंध में।	यह निर्णय लिया गया कि मूल्य आदि शासन से अनुमोदित होगा तथा प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण से Modalities तय की जायें। यह भी निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया जाये कि Trunk Services की योजना अतिशीघ्र अंतिम कर लें ताकि परिषद कार्य प्रारम्भ कर सके। यह भी

		आदेशित किया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से होने वाले समझौते में समय सीमा का बिन्दु रखा जाए।
185/52	माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	कोई नहीं।

पुष्टि की गई

21-3-03